Order Sheet (subsequent)

साहबलाल वगै० बनाम हनुमानलाल वगै०

क्लेम प्र० संख्या : 17/2023

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the order
09.02.2026	प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बृजेश नागर उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम–1 व 2 श्री कृष्णकांत शर्मा व अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम–03 श्री बालमुकंद खण्डेलवाल उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम–1 व 2 की ओर से प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 10(17) राजस्थान मोटरवाहन अधिनियम 1990 का लिखित जवाब पेश नहीं करना चाहना जाहिर किया। अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम–3 बीमा कंपनी की ओर से जिला परिवहन अधिकारी दूदू (जयपुर) को साक्ष्य हेतु तलब करने बाबत् प्रार्थना अंतर्गत नियम 10(17) मोटर वाहन अधिनियम दिनांकित 27.11.2025 पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम–3 ने उक्त प्रार्थना पत्र के उक्त तथ्यों को अपनी बहस में दोहराया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम–1 व 2 द्वारा उक्त व्यक्ति की साक्ष्य अनावश्यक होना बताते हुए प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया। उक्त तर्कों व संबंधित विधि को विचार में लेते हुए पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। अप्रार्थी क्रम–3 बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तर्कों व गवाह एन.ए.डब्ल्यू.2 के बयानों के मद्देनजर जिला परिवहन अधिकारी हस्तगत प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाह है, जिसे प्रकरण में साक्षी के रूप में तलब किया जाना न्यायहित में न्यायोचित प्रतीत होता है। **अतः अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम–3 (बीमा कंपनी) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांकित 27.11.2025 स्वीकार किया जाकर साक्ष्य अप्रार्थी में साक्षी जिला परिहवन अधिकारी दूदू (जयपुर) को अप्रार्थी क्रम–3 के खर्चे पर साक्ष्य हेतु जरिये सम्मन तलब किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश सुनाया गया।** **अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम–3 (बीमा कंपनी) की ओर से साक्षी जिला परिवहन अधिकारी बारां को जरिये सम्मन तलब जाने हेतु तलबाना नोटिस पेश किया गया। सम्मन आज ही जारी किया जाकर तामील हेतु अप्रार्थी क्रम–3 के अधिवक्ता को दस्ती दिया जावे।** पत्रावली वास्ते साक्ष्य अप्रार्थी क्रम–3 दिनांक 16.02.2026 को पेश हो। 9.2.26 **सत्यनारायण टेलर** **न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बारां (राज.)**	सम्मन दस्ती प्राप्त किया (बालमुकुन्द खण्डेलवाल)